भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2068
30 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के तहत प्रगति

2068**. श्रीमती संजना जाटव:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्यवर्धन सुविधाओं के विकास में क्या प्रगति हुई है;

(ख) कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं और इसके अंतर्गत अब तक कितना रोजगार सृजित हुआ है;

(ग) क्या भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त परियोजना के पूरा होने के बाद कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, निर्यात और इस क्षेत्र के समग्र विकास पर पीएमकेएसवाई का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) एवं (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में केंद्रीय क्षेत्र की अंब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित्त कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्य संवर्धन सुविधाएँ विकसित करना, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और परिरक्षण को बढ़ाना, रोजगार के अवसर सृजित करना, और किसानों को बेहतर आय प्रदान करना है। दिनांक 30.06.2026 तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत कुल 1,735 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1,256 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 294.21 एलएमटी/प्रति वर्ष प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन हुआ है और पूरे देश में 9.16 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

(ग) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) मांग आधारित प्रकृति की है और पूरे देश से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधि आवंटित/अनुमोदित/जारी नहीं की जाती है। इसमें प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता के लिए जांच की जाती है और वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। निधि की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता-आधारित अनुमोदन दिया जाता है। अब तक, भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कोई भी परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है।

(घ) एवं (ङ) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएँ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदान सहायता सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और मूल्य वर्धन को बढ़ाना है। खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है और उनकी आय में सुधार होता है। पीएमकेएसवाई एक मांग-आधारित योजना है और सभी योग्य आवेदकों से, जिसमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी शामिल हैं, अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसान-उत्पादक लिंकेजेज़ को मजबूत करने के लिए, पीएमकेएसवाई सामान्य श्रेणी के आवेदकों की तुलना में कम इक्विटी योगदान, कम न्यूनतम बैंक ऋण आवश्यकता और कम निवल-मूल्य आवश्यकता जैसी पात्रता शर्तों में कमी के साथ एफपीओ को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, मंत्रालय की केंद्रीय से प्रायोजित पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, एफपीओ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना या उन्नयन के लिए ₹10 लाख तक की 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए ₹3 करोड़ तक की 35% अनुदान राशि, और राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर एफपीओ के समूहों 50% तक के अनुदान के रूप में ब्रांडिंग और विपणन सहायता के लिए पात्र हैं।

दिनांक 30.06.2026 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1,256 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जिससे लगभग 37.76 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 294.21 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन हुआ है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ता मिली है, मूल्य वर्धन को बढ़ावा मिला है, तथा खाद्य उत्पादों के समग्र निर्यात और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में योगदान हुआ है।
